



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052026-272984  
CG-DL-E-30052026-272984

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2658]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 30, 2026/ज्येष्ठ 9, 1948

No. 2658]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30, 2026/JYAISTHA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2026

सं. 68/2026-सीबीडीटी

का.आ. 2751(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(4) (बी) के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्वारा, एस. निजलिंगप्पा शुगर इंस्टिट्यूट, बेलगाउं (पैन: AAATK6236C) को 2025 के उक्त अधिनियम की धारा 45(3)(ए)(i) और आयकर अधिनियम 2026 के नियम 32 और 34 के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान की श्रेणी के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना एस. निजलिंगप्पा शुगर इंस्टिट्यूट, बेलगाउं पर कर वर्ष 2026-2027 से 2030-2031 के लिए इन शर्तों के अधीन लागू होगी, कि यह-

(i) आयकर अधिनियम, 2026 के नियम 34 में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा;

- (ii) फॉर्म नंबर 15 में प्रत्येक कर वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45 (4) (ए) के तहत विवरण तैयार करेगा और आयकर नियम, 2026 के नियम 31 के अनुसार आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को उस कर वर्ष के तुरंत बाद जिसमें दान प्राप्त हुआ है 31 मई को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा या कराएगा:
- (iii) आयकर नियम, 2026 के नियम 31 के अनुसार प्रदाता को फॉर्म संख्या 16 में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें उक्त दान की राशि उल्लिखित होगी।

[फा. सं. 203/17/2025/आईटीए-II]

इंदु बाला, उप सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th May, 2026

**No. 68 of 2026-CBDT**

**S.O. 2751(E).**— In pursuance of the section 45(4)(b) of the Income-tax Act, 2025, the Central Government hereby approves the S. Nijalingappa Sugar Institute, Belgaum (PAN: AAATK6236C) for **Scientific Research** under the category of **University, college or other institution**, for the purposes of section 45(3)(a)(i) of the said Act of 2025 and rules 32 and 34 of the Income-tax Rules, 2026.

**2.** This notification shall be applicable to the S. Nijalingappa Sugar Institute, Belgaum for the tax years 2026-2027 to 2030-2031, subject to the conditions that it shall—

- (i) comply with the conditions specified in rule 34 of the Income-tax Rules, 2026;
- (ii) prepare statement under section 45(4)(a) of the Income-tax Act, 2025 for each tax year in Form No.15 and deliver or cause to be delivered to the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him on or before the 31<sup>st</sup> May, immediately following the tax year in which the donation is received, in accordance with rule 31 of the Income-tax Rules, 2026;
- (iii) furnish to the donor, a certificate in Form No.16 specifying the amount of donation in accordance with rule 31 of the Income-tax Rules, 2026.

[F. No. 203/17/2025/ITA-II]

INDU BALA, Dy. Secy.